

मोनेटरी एंड क्रेडिट इन्फॉर्मेशन रिव्यू



एमसीआईआर



खंड XXI

अंक 5

अगस्त 2025



I. मौद्रिक नीति

6 अगस्त 2025 को गवर्नर का मौद्रिक नीति वक्तव्य



विषय-वस्तु

खंड	पृष्ठ
I. मौद्रिक नीति	1-2
II. विनियमन	2-3
III. वित्तीय बाजार	3
IV. विदेशी मुद्रा	3
V. फिनटेक	3
VI. भुगतान और निपटान प्रणाली	4
VII. सर्वेक्षण	4
VIII. प्रकाशन	4
IX. जारी आंकड़े	4



संपादक की कलम से

मोनेटरी एंड क्रेडिट इन्फोर्मेशन रिव्यू के इस संस्करण में आरबीआई द्वारा नीतिगत रेपो दर को 5.50% पर बनाए रखने के निर्णय पर प्रकाश डाला गया है, जिसका उद्देश्य मुद्रास्फीति नियंत्रण और आर्थिक संवृद्धि के बीच संतुलन बनाना है। इसमें प्रमुख विनियामकीय अपडेट पर प्रकाश डाला गया है, जिनमें मृतक जमाकर्ताओं से संबंधित दावों के निपटान को आसान बनाने, रुपया के व्यापार को बढ़ावा देने और वित्तीय समावेशन को बढ़ाने के कदम शामिल हैं। हाल के सर्वेक्षणों और वित्तीय प्रौद्योगिकी के पहल से प्राप्त अंतर्दृष्टि, बदलते वित्तीय परिदृश्य को दर्शाती है। हमें विश्वास है कि पाठकों को यह अंक सूचनाप्रद और प्रासंगिक लगेगा।

हम सटीक जानकारी साझा करने, गहन समझ को बढ़ावा देने और संपर्क में बने रहने के अपने लक्ष्य के प्रति प्रतिबद्ध हैं।

एमसीआईआर को <https://mcir.rbi.org.in> पर या क्यूआर कोड स्कैन करके भी देखा जा सकता है।

आप अपनी प्रतिक्रिया mcir@rbi.org.in पर भेज सकते हैं।

पुनीत पंचोली
संपादक

श्री संजय मल्होत्रा, गवर्नर, भारतीय रिज़र्व बैंक ने 6 अगस्त 2025 को अपने वक्तव्य की शुरुआत रक्षाबंधन, स्वतंत्रता दिवस, जन्माष्टमी, पारसी नव वर्ष और गणेश चतुर्थी के पावन अवसर पर हार्दिक शुभकामनाओं के साथ की। उन्होंने कहा कि मानसून का मौसम अच्छा चल रहा है, जिससे आगामी त्योहारों के लिए सकारात्मक माहौल बन रहा है, जो पारंपरिक रूप से उपभोक्ता मनोभाव और आर्थिक गतिविधियों को प्रोत्साहित करता है। विवेकपूर्ण राजकोषीय और मौद्रिक नीतियों के साथ यह अनुकूल घरेलू पृष्ठभूमि, अल्पावधि में भारतीय अर्थव्यवस्था को मजबूत स्थिति में ला रही है। जहाँ वैश्विक व्यापार सुस्त बना हुआ है और अनिश्चितताएँ बनी हुई हैं, वहीं भू-राजनीतिक परिवेश में सुधार के संकेत दिखाई दे रहे हैं। मध्यम अवधि में, भारत अपनी मजबूत समष्टि-आर्थिक बुनियाद, सुदृढ़ बफर और संरचनात्मक सुधारों के बल पर बदलती वैश्विक गतिकी से लाभान्वित होगा। नीति-निर्माता समन्वित और दूरदर्शी कार्यनीतियों के माध्यम से उभरते अवसरों का लाभ उठाने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) की 4-6 अगस्त को हुई बैठक में सर्वसम्मति से नीतिगत रेपो दर को 5.50% पर अपरिवर्तित रखने का निर्णय लिया गया, जबकि स्थायी जमा सुविधा (एसडीएफ) 5.25% और सीमांत स्थायी सुविधा (एमएसएफ) व बैंक दर 5.75% पर स्थिर रही। समिति ने अपना तटस्थ रुख बरकरार रखा और इस बात पर जोर दिया कि हालाँकि खाद्य पदार्थों, विशेषकर सब्जियों, की कीमतों में गिरावट के कारण हेडलाइन मुद्रास्फीति में उल्लेखनीय कमी आई है, लेकिन मूल मुद्रास्फीति 4% के आसपास स्थिर बनी हुई है। संवृद्धि दर मजबूत होने के बावजूद, दीर्घकालिक आकांक्षाओं से थोड़ी कम बनी हुई है।

संवृद्धि के स्तर पर, घरेलू अर्थव्यवस्था लगातार आघात-सहनीयता दिखा रही है। ग्रामीण उपभोग मजबूत बना हुआ है, हालाँकि शहरी विवेकाधीन खर्च अभी पूरी तरह से नहीं बढ़ा है। निवेश गतिविधि को सरकारी पूँजीगत व्यय में तेज़ी का समर्थन मिल रहा है, जबकि अनुकूल मानसून ने खरीफ की बुवाई और कृषि उत्पादन को बढ़ावा दिया है। सेवा क्षेत्र मजबूत दिख रहा है, जुलाई में सेवा पीएमआई बढ़कर 11 महीने के उच्चतम स्तर 60.5 पर पहुँच गया। निर्माण गतिविधियाँ भी मजबूत बनी हुई हैं। हालाँकि, औद्योगिक क्षेत्र, विशेष रूप से बिजली और खनन क्षेत्र, का प्रदर्शन असमान रहा है।

मुद्रास्फीति के बारे में आरबीआई ने बताया कि जून 2025 में सीपीआई मुद्रास्फीति घटकर 77 महीनों के निचले स्तर 2.1% पर आ गई, जो मुख्यतः खाद्य मुद्रास्फीति—विशेषकर सब्जियों और दालों—में भारी गिरावट के कारण है। जून में मूल मुद्रास्फीति मामूली रूप से बढ़कर 4.4% हो गई, जिसका एक कारण स्वर्ण की बढ़ती कीमतें भी थीं। अच्छे मानसून, स्वस्थ जलाशय स्तर, मजबूत कृषि उत्पादन और स्थिर वैश्विक कमोडिटी कीमतों के समर्थन से मुद्रास्फीति की संभावना में सुधार हुआ है। हालाँकि, आधार प्रभावों और संभावित माँग दबावों के कारण 2025-26 की चौथी तिमाही में मुद्रास्फीति बढ़ने की उम्मीद है। आरबीआई ने पूरे वर्ष के लिए सीपीआई मुद्रास्फीति 3.1% रहने का अनुमान लगाया है, जिसके चौथी तिमाही में 4.4% और 2026-27 की पहली तिमाही में 4.9% तक पहुँचने की उम्मीद है।

व्यापक वस्तु व्यापार घाटे के बावजूद भारत का बाह्य क्षेत्र स्थिर बना हुआ है। 2024-25 के लिए चालू खाता घाटा (सीएडी) घटकर सकल घरेलू उत्पाद का 0.6% रह गया, जिसे मजबूत सेवा निर्यात और विप्रेषणों से मदद मिली। सेवा निर्यात में भारत की वैश्विक हिस्सेदारी 2005 के 2% से बढ़कर 2024 में 4.3% हो गई, जिसका मुख्य कारण सॉफ्टवेयर और कारोबारी सेवाएँ थीं। वित्तपोषण के संबंध में, सकल एफ़डीआई अंतर्वाह मजबूत रहा, हालाँकि बड़े हुए विदेशी निवेश के कारण निवल एफ़डीआई में कमी आई। मई और जून के दौरान उभरती बाज़ार अर्थव्यवस्थाओं में एफ़पीआई प्रवाह सकारात्मक रहा, लेकिन भारत ने 2025-26 में अब तक 0.8 अरब अमेरिकी डॉलर का निवल बहिर्वाह दर्ज किया है, जो मुख्यतः ऋण क्षेत्र से आया है। बाह्य वाणिज्यिक उधार और अनिवासी जमाराशियों ने अतिरिक्त सहायता प्रदान की। विदेशी मुद्रा आरक्षित निधि 688.9 अमेरिकी डॉलर रहा, जो 11 महीनों से अधिक के आयात कवर की पेशकश करता है, जिससे भारत की बाह्य स्थिति की समग्र आघात-सहनीयता मजबूत हुई।

चलनिधि और वित्तीय स्थितियाँ आरामदायक बनी हुई हैं। पिछली नीति समीक्षा के बाद से, चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ़) के अंतर्गत औसत अधिशेष चलनिधि प्रतिदिन ₹3.0 लाख करोड़ रही, जो पहले ₹1.6 लाख करोड़ थी। पहले घोषित सीआरआर कटौती, जिसे सितंबर से चरणों में लागू किया जाएगा, से चलनिधि में और सुधार की उम्मीद है। बैंकिंग प्रणाली में दरों में कटौती का व्यापक प्रभाव देखा गया है, तथा उधार और जमा दरों में व्यापक रूप से गिरावट आई है। फरवरी से जून 2025 तक, नए रुपये ऋणों पर भारित औसत उधार दर (डब्ल्यूएएलआर) में 71 आधार अंकों की गिरावट आई, जबकि मियादी जमा दरों में 87 आधार अंकों की गिरावट आई।

वित्तीय स्थिरता के संदर्भ में, गवर्नर ने कहा कि बैंक और एनबीएफसी पूँजी पर्याप्तता, आस्ति गुणवत्ता और लाभप्रदता के मामले में मजबूत बुनियादी ढाँचे का प्रदर्शन जारी रखे हुए हैं। जून 2025 तक, जमाराशि की

तुलना में ऋण अनुपात 78.9% रहा, जो पिछले वर्ष से लगभग अपरिवर्तित रहा। 2024-25 में बैंक ऋण में 12.1% की वृद्धि हुई, जो पिछले वर्ष की तुलना में कम है लेकिन दस-वर्षीय औसत से अधिक है। दिलचस्प बात यह है कि वित्तपोषण के बाज़ार-आधारित स्रोतों— जैसे वाणिज्यिक पत्र और बांड—ने बैंक ऋण में आई कमी की भरपाई की, जिसके परिणामस्वरूप वाणिज्यिक क्षेत्र में वित्तीय संसाधनों के प्रवाह में समग्र वृद्धि हुई।

अंत में, गवर्नर ने तीन उपभोक्ता-केंद्रित उपायों की घोषणा की: (1) जन-धन योजना के 10 वर्ष पूरे होने पर बैंक ग्रामीण भारत में पुनः-केवाईसी और वित्तीय समावेशन शिविर आयोजित करेंगे; (2) आरबीआई मृतक ग्राहकों के खातों, लॉकरों और सुरक्षित वस्तुओं के दावों के निपटान की प्रक्रियाओं को मानकीकृत करेगा ताकि प्रक्रिया तेज़ और अधिक पारदर्शी हो सके; और (3) आरबीआई रिटेल-डायरेक्ट प्लेटफ़ॉर्म का उपयोग करने वाले खुदरा निवेशक जल्द ही व्यवस्थित निवेश योजनाओं (एसआईपी) के माध्यम से खजाना बिलों में निवेश कर सकेंगे। अधिक जानकारी के लिए, कृपया [यहाँ](#) क्लिक करें।

मौद्रिक नीति समिति का संकल्प

वर्तमान और उभरती समष्टि-आर्थिक स्थिति के आकलन के आधार पर, मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) ने 6 अगस्त 2025 को अपनी बैठक में मौद्रिक नीति रेपो दर को 5.50 प्रतिशत पर बनाए रखने का निर्णय लिया। तदनुसार, स्थायी जमा सुविधा (एसडीएफ) दर 5.25 प्रतिशत पर यथावत् बनी रहेगी तथा सीमांत स्थायी सुविधा (एमएसएफ) दर और बैंक दर 5.75 प्रतिशत पर बनी रहेगी। यह निर्णय आर्थिक संवृद्धि को बढ़ावा देने के व्यापक उद्देश्य को समर्थन प्रदान करते हुए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) मुद्रास्फीति को ± 2 प्रतिशत की सहनशीलता सीमा के भीतर 4 प्रतिशत पर बनाए रखने के एमपीसी के आदेश के अनुरूप है। एमपीसी ने उचित मौद्रिक नीति मार्ग निर्धारित करने के लिए ग्राम आंकड़ों और उभरती घरेलू संवृद्धि-मुद्रास्फीति गतिकी पर कड़ी निगरानी रखने का संकल्प लिया। तदनुसार, सभी सदस्यों ने तटस्थ रख बनाए रखने का निर्णय लिया। अधिक जानकारी के लिए, कृपया [यहाँ](#) क्लिक करें।

शुभारंभ भी शामिल है। अधिक जानकारी के लिए, कृपया [यहाँ](#) क्लिक करें।

एमपीसी का कार्यवृत्त

भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45जेडवी के अंतर्गत गठित मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) की छप्पनवीं बैठक 4 से 6 अगस्त 2025 के दौरान आयोजित की गई थी।

तदनुसार, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45जेडएल के अंतर्गत, रिज़र्व बैंक ने बैठक की कार्यवाहियों का कार्यवृत्त 20 अगस्त 2025 अर्थात एमपीसी की बैठक के 14वें दिन को प्रकाशित किया।

एमपीसी ने भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा उपभोक्ता विश्वास, परिवारों की मुद्रास्फीति प्रत्याशा, कॉर्पोरेट क्षेत्र के कार्यनिष्पादन, ऋण की स्थिति, औद्योगिक, सेवाओं और अवसंरचना क्षेत्रों की संभावनाएं और पेशेवर पूर्वानुमानकर्ताओं के अनुमानों का आकलन करने के लिए किए गए सर्वेक्षणों की समीक्षा की। एमपीसी ने इन संभावनाओं के विभिन्न जोखिमों के इर्द-गिर्द स्टाफ के समष्टि आर्थिक अनुमानों और वैकल्पिक परिदृश्यों की विस्तृत रूप से समीक्षा भी की। उक्त के मद्देनज़र और मौद्रिक नीति के रुख पर व्यापक चर्चा करने के बाद एमपीसी ने संकल्प अपनाया जिसे नीचे प्रस्तुत किया गया है। अधिक जानकारी के लिए, कृपया [यहाँ](#) क्लिक करें।

विकासात्मक और विनियामक नीतियाँ

यह वक्तव्य (i) विनियमन; (ii) वित्तीय बाजारों से संबंधित विकासात्मक और विनियामक नीतिगत उपायों को निर्धारित करता है।

I. विनियमन

1. बैंकों के मृत ग्राहकों के जमा खातों के संबंध में दावों के निपटान हेतु प्रक्रिया का मानकीकरण

बैंकारी विनियमन अधिनियम, 1949 के प्रावधानों के अंतर्गत, जमा खातों, सुरक्षित अभिरक्षा में रखी वस्तुओं या सुरक्षित जमा लॉकरों के संबंध में नामांकन सुविधा उपलब्ध है। इसका उद्देश्य ग्राहक की मृत्यु होने पर दावों का शीघ्र निपटान या वस्तुओं की वापसी या सुरक्षित जमा लॉकर की सामग्री की रिलीज करने के कार्य को सुगम बनाना और परिवार के सदस्यों को होने वाली कठिनाइयों को कम करना है। मौजूदा अनुदेशों के अनुसार, बैंकों को उत्तरजीवियों/ नामित व्यक्तियों/ कानूनी उत्तराधिकारियों द्वारा किए गए दावों के शीघ्र और झंझट-रहित निपटान हेतु एक सरलीकृत प्रक्रिया अपनानी होगी। ये प्रक्रियाएँ अलग-अलग बैंकों में अलग-अलग होती हैं। ग्राहक सेवा मानकों को बेहतर बनाने के उद्देश्य से, प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने और बैंकों को प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेज़ों को मानकीकृत करने का निर्णय लिया गया है। इस संबंध में जनता से परामर्श के लिए एक परिपत्र का मसौदा शीघ्र ही जारी किया जाएगा।

II. वित्तीय बाजार

2. खजाना-बिलों में निवेश और पुनर्निवेश के लिए आरबीआई रिटेल डायरेक्ट में स्वचालित बोली प्रक्रिया सुविधाओं की शुरुआत

रिटेल डायरेक्ट योजना के अंतर्गत खुदरा निवेशकों को रिज़र्व बैंक में अपने गिल्ट खाते खोलने में सुविधा प्रदान करने के लिए नवंबर 2021 में रिटेल डायरेक्ट पोर्टल का लोकार्पण किया गया था। यह योजना खुदरा निवेशकों को प्राथमिक नीलामी में सरकारी प्रतिभूतियों (जी-सेक) खरीदने के साथ-साथ द्वितीयक बाजार में जी-सेक खरीदने और बेचने की सुविधा प्रदान करता है। योजना के शुभारंभ के बाद से, उत्पाद और भुगतान विकल्पों के संदर्भ में कई नई सुविधाएँ शुरू की गई हैं, जिनमें मई 2024 में एक मोबाइल ऐप का

II. विनियमन

बैंकों द्वारा आयोजित पुनः-केवाईसी शिविरों में गवर्नर और उप गवर्नरों का दौरा

रिज़र्व बैंक ने 11 अगस्त 2025 को घोषणा की कि 1 जुलाई से 30 सितंबर 2025 तक चलने वाले राष्ट्रव्यापी वित्तीय समावेशन (एफआई) अभियान के तहत ग्राम पंचायतों में 1.41 लाख से अधिक शिविर आयोजित किए गए हैं, जिनमें 35 लाख से अधिक पुनः-केवाईसी अपडेट पूरे किए गए हैं। गोजारिया ग्राम पंचायत, मेहसाणा, गुजरात में आयोजित शिविर के दौरान गवर्नर श्री संजय मल्होत्रा ने बैंकिंग तक पहुंच बढ़ाने तथा वित्तीय समावेशन की योजनाओं का कवरेज बढ़ाने के लिए बैंकों, आरबीआई और समुदायों के बीच सहयोग पर जोर दिया। उप गवर्नर श्री एम. राजेश्वर राव और श्री स्वामीनाथन जे. ने झारखंड और तमिलनाडु में आयोजित शिविरों में इसी प्रकार का दौरा किया और समय पर केवाईसी अपडेट, सामाजिक सुरक्षा योजनाओं में नामांकन और शिकायत निवारण के महत्व पर प्रकाश डाला। ग्राहकों को चल रहे शिविरों के दौरान दी जाने वाली सेवाओं का पूरा लाभ उठाने के लिए प्रोत्साहित किया गया। अधिक जानकारी के लिए, कृपया [यहाँ](#) क्लिक करें।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने न्यू इंडिया को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई का सारस्वत को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई के साथ स्वैच्छिक समामेलन को मंजूरी दी

भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंकारी विनियमन अधिनियम, 1949 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए न्यू इंडिया को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई का सारस्वत को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई के साथ समामेलन की योजना को मंजूरी दी। यह योजना 4 अगस्त 2025 से लागू होगी तथा न्यू इंडिया

भारतीय रिज़र्व बैंक के केंद्रीय निदेशक बोर्ड की 618वीं बैठक

भारतीय रिज़र्व बैंक के केंद्रीय निदेशक बोर्ड की 618वीं बैठक आज लखनऊ में गवर्नर श्री संजय मल्होत्रा की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बोर्ड ने भू-राजनीतिक और वित्तीय बाज़ार की गतिविधियों और उससे जुड़ी चुनौतियों सहित उभरते वैश्विक और घरेलू आर्थिक परिदृश्य का आकलन किया। बोर्ड ने बैंक के चुनिंदा केंद्रीय कार्यालय विभागों और केंद्रीय निदेशक बोर्ड की समितियों तथा ओम्बुड्समैन योजना के कामकाज की भी समीक्षा की। बोर्ड ने मौद्रिक नीति समिति के पदेन सदस्य के रूप में श्री इन्द्रनील भट्टाचार्य, कार्यपालक निदेशक के नामांकन को अनुमोदित किया।

उप गवर्नर श्री एम. राजेश्वर राव, श्री टी. रवी शंकर, श्री स्वामीनाथन जे., डॉ. पूनम गुप्ता और केंद्रीय बोर्ड के अन्य निदेशक - श्री नागराजू महिराला, सचिव, वित्तीय सेवाएं विभाग, सुश्री अनुराधा ठाकुर, सचिव, आर्थिक कार्य विभाग, श्री सतीश के. मराठे, श्रीमती रेवती अय्यर, प्रो. सचिन चतुर्वेदी, श्री आनंद गोपाल महिंद्रा, श्री पंकज रमणभाई पटेल और डॉ. रवींद्र एच. ढोलकिया - बैठक में शामिल हुए।

को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड की सभी शाखाएँ 4 अगस्त 2025 से सारस्वत को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई की शाखाओं के रूप में कार्य करेंगी। अधिक जानकारी के लिए, कृपया [यहाँ](#) क्लिक करें।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड को सर्वव्यापी बैंक में परिवर्तन हेतु 'सैद्धांतिक' मंजूरी दी

रिज़र्व बैंक ने 7 अगस्त 2025 को एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड (एयूएसएफबी) को लघु वित्त बैंक से **सर्वव्यापी बैंक** में परिवर्तित होने के लिए 'सैद्धांतिक' मंजूरी प्रदान की। यह 27 नवंबर 2014 के दिशानिर्देशों के अनुरूप है, जिसमें पात्र एसएफबी के लिए एक पारगमन पथ प्रदान किया गया और 26 अप्रैल 2024 को जारी "लघु वित्त बैंकों का सर्वव्यापी बैंकों में स्वेच्छिक पारगमन" संबंधी परिपत्र में उल्लिखित विस्तृत पात्रता शामिल हैं। अधिक जानकारी के लिए, कृपया [यहाँ](#) क्लिक करें।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने 'प्रतिपक्षकार ऋण जोखिम: संभावित भावी एक्सपोज़र की गणना के लिए अतिरिक्त कारक - संशोधित अनुदेश' संबंधी परिपत्र के मसौदे पर सार्वजनिक टिप्पणियाँ आमंत्रित कीं

रिज़र्व बैंक ने 20 अगस्त 2025 को "प्रतिपक्षकार ऋण जोखिम: संभावित भावी एक्सपोज़र की गणना के लिए अतिरिक्त कारक - संशोधित अनुदेश" पर परिपत्र का मसौदा जारी किया जो 1 अप्रैल 2025 को जारी बेसल III पुंजी विनियमों पर मास्टर परिपत्र के पैराग्राफ 5.15.3 में दिशानिर्देशों को संशोधित करता है। मसौदे पर बैंकों, बाज़ार सहभागियों और अन्य हितधारकों से 10 सितंबर 2025 तक टिप्पणियाँ आमंत्रित हैं। प्रतिक्रियाएँ रिज़र्व बैंक की वेबसाइट पर उपलब्ध 'कनेक्ट टू रेगुलेट' खंड या प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक, बाज़ार जोखिम समूह, विनियमन विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक, मुंबई के माध्यम से प्रस्तुत की जा सकती हैं। अधिक जानकारी के लिए, कृपया [यहाँ](#) क्लिक करें।

III. वित्तीय बाज़ार

भारत के बाहर रहने वाले व्यक्तियों द्वारा विशेष रुपया वास्ट्रो खाते के माध्यम से सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश

भारतीय रिज़र्व बैंक ने 12 अगस्त 2025 को भारत से बाहर रहने वाले उन व्यक्तियों को भारतीय रुपए में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार निपटान के लिए विशेष रुपया वास्ट्रो खाते (एसआरवीए) रखने की अनुमति दे दी है, जो अपने रुपए के अधिशेष शेष को खजाना बिलों सहित केंद्र सरकार की प्रतिभूतियों में निवेश कर सकते हैं। आवश्यक परिचालन अनुदेशों को 7 जनवरी 2025 के ऋण लिखतों में अनिवासी निवेश संबंधी अद्यतन मास्टर निदेश में शामिल किया गया है। अधिक जानकारी के लिए, कृपया [यहाँ](#) क्लिक करें।

IV. विदेशी मुद्रा

भारतीय रुपया (आईएनआर) में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार निपटान

भारतीय रिज़र्व बैंक ने 5 अगस्त 2025 को समुद्रपारीय प्रतिनिधि बैंकों के लिए विशेष रुपया वास्ट्रो खातों (एसआरवीए) के संबंध में अपने अनुदेशों को संशोधित किया, जिससे प्राधिकृत व्यापारी (एडी) श्रेणी-I बैंकों को भारतीय रिज़र्व बैंक से पूर्व अनुमोदन प्राप्त किए बिना एसआरवीए खोलने की अनुमति प्राप्त हुई। यह अनुदेश तत्काल प्रभाव से लागू है। प्राधिकृत व्यापारी बैंकों को सूचित किया गया कि वे अपने घटकों और ग्राहकों को तदनुसार सूचित करें। ये निदेश विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम (फेमा), 1999 के अंतर्गत जारी किए गए हैं और किसी भी अन्य आवश्यक विधिक अनुमति या अनुमोदन को प्रभावित नहीं करते हैं। अधिक जानकारी के लिए, कृपया [यहाँ](#) क्लिक करें।

विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम (फेमा), 1999 के अंतर्गत गारंटी विनियम - प्रतिक्रिया हेतु मसौदा

भारतीय रिज़र्व बैंक ने 14 अगस्त 2025 को विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम (फेमा), 1999 के अंतर्गत गारंटी प्रावधानों को युक्तिसंगत बनाने हेतु मसौदा विनियमों की घोषणा की, जिसका उद्देश्य व्यापार सुगमता को बढ़ावा देना है। प्रस्तावित विनियमों में एक सिद्धांत-आधारित दृष्टिकोण शामिल है, जो सीमा-पार लेनदेन से संबंधित गारंटियों को स्वचालित मार्ग से अनुमति देता है, बशर्ते वे फेमा का अनुपालन करते हों। स्वचालित मार्ग के अंतर्गत गारंटियों का दायरा बढ़ाया जा रहा है और सभी जारी और लागू की गई गारंटियों के लिए एक व्यापक रिपोर्टिंग तंत्र प्रस्तावित है। मसौदा विनियमों पर टिप्पणियाँ और प्रतिक्रियाएँ आरबीआई की वेबसाइट पर 'कनेक्ट टू रेगुलेट' खंड के माध्यम से या 4 सितंबर 2025 तक ईमेल के माध्यम से प्रस्तुत की जा सकती हैं। अधिक जानकारी के लिए, कृपया [यहाँ](#) क्लिक करें।

V. फिनटेक

विनियामक सैंडबॉक्स: 'तटस्थ' विषय पर पाँचवाँ कोहोर्ट - निकास

रिज़र्व बैंक ने 14 अगस्त 2025 को घोषणा की कि इंडियन बैंक डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर कंपनी (आईवीडीआईसी) प्राइवेट लिमिटेड 'तटस्थ विषय' ट्रैक के अंतर्गत विनियामक सैंडबॉक्स (आरएस) के पाँचवें कोहोर्ट से बाहर निकल गई है। कंपनी ने ब्लॉकचेन-आधारित डीप-टियर फाइनेंसिंग समाधान का परीक्षण किया, जो निर्धारित सीमांत परिस्थितियों में व्यवहार्य पाया गया। इस समाधान का उद्देश्य आपूर्तिकर्ता चालानों को टोकनाइज़ करके एमएसएमई को किफायती वित्तपोषण प्रदान करना है। परीक्षण चरण के सफलतापूर्वक पूरा होने के साथ, अब उत्पाद को विनियामक दिशानिर्देशों के अनुपालन के अधीन, विनियमित संस्थाओं द्वारा अपनाने पर विचार किया जा सकता है। अधिक जानकारी के लिए, कृपया [यहाँ](#) क्लिक करें।

VI. भुगतान और निपटान प्रणालियाँ

चेक ट्रेंडेशन प्रणाली में प्राप्ति पर निरंतर समाशोधन और निपटान की शुरूआत

रिज़र्व बैंक ने 13 अगस्त 2025 को चेक ट्रेंडेशन प्रणाली (सीटीएस) को बैच प्रोसेसिंग से लेकर प्राप्ति पर निपटान के साथ निरंतर समाशोधन में परिवर्तित करने की घोषणा की, जैसा कि 8 अगस्त 2024 के विकासात्मक और विनियामक नीतियों पर वक्तव्य में उल्लिखित है। यह बदलाव दो चरणों में लागू किया जाएगा—पहला चरण 4 अक्टूबर 2025 को और दूसरा चरण 3 जनवरी 2026 को। बैंकों को इस बदलाव के लिए तैयार रहने और अपने ग्राहकों को संशोधित चेक समाशोधन प्रक्रिया के बारे में सूचित करने के लिए सूचित किया गया है। यह निदेश भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 के अंतर्गत जारी किया गया है। अधिक जानकारी के लिए, कृपया [यहाँ](#) क्लिक करें।

VII. सर्वेक्षण

शहरी उपभोक्ता विश्वास सर्वेक्षण

रिज़र्व बैंक ने 25 अगस्त 2025 को शहरी उपभोक्ता विश्वास सर्वेक्षण (यूसीसीएस) का सितंबर 2025 दौर शुरू किया, जो सामान्य आर्थिक स्थिति, रोजगार, मूल्य स्तर, आय और व्यय पर परिवारों से गुणात्मक प्रतिक्रियाएं एकत्र करता है। अधिक जानकारी के लिए, कृपया [यहाँ](#) क्लिक करें।

ग्रामीण उपभोक्ता विश्वास सर्वेक्षण

रिज़र्व बैंक ने 25 अगस्त 2025 को ग्रामीण उपभोक्ता विश्वास सर्वेक्षण (आरसीसीएस) का सितंबर 2025 दौर शुरू किया, जो 31 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में आर्थिक स्थिति, रोजगार, कीमतों, आय और खर्च पर परिवारों की वर्तमान धारणाओं और एक वर्ष आगे की प्रत्याशाओं को दर्शाता है। अधिक जानकारी के लिए, कृपया [यहाँ](#) क्लिक करें।

परिवारों का मुद्रास्फीति प्रत्याशा सर्वेक्षण

रिज़र्व बैंक ने 25 अगस्त 2025 को परिवारों के मुद्रास्फीति प्रत्याशा सर्वेक्षण (आईईएसएच) का सितंबर 2025 दौर शुरू किया, जो परिवारों के उपभोग पैटर्न के आधार पर मूल्य उतार-चढ़ाव और मुद्रास्फीति पर उनके व्यक्तिपरक आकलन को दर्शाता है। अधिक जानकारी के लिए, कृपया [यहाँ](#) क्लिक करें।

VIII. प्रकाशन

चलनिधि प्रबंधन ढांचे की समीक्षा के लिए आंतरिक कार्य समूह की रिपोर्ट

रिज़र्व बैंक ने 6 अगस्त 2025 को अपने आंतरिक कार्य समूह (आईडब्ल्यूजी) की रिपोर्ट प्रकाशित की, जो फरवरी 2020 से लागू चलनिधि प्रबंधन ढांचे (एलएमएफ़) की समीक्षा कर रहा था, और इसे सार्वजनिक परामर्श के लिए अपनी वेबसाइट पर रखा। इसने हितधारकों और जन सदस्यों को 29 अगस्त 2025 तक ईमेल के माध्यम से टिप्पणियां प्रस्तुत करने के लिए आमंत्रित किया है और कहा है कि आईडब्ल्यूजी की सिफारिशों पर अंतिम निर्णय लेने से पहले इन टिप्पणियों पर विचार किया जाएगा। अधिक जानकारी के लिए, कृपया [यहाँ](#) क्लिक करें।

वित्तीय क्षेत्र में कृत्रिम बुद्धिमत्ता के दायित्वपूर्ण और नैतिक उपयोग के लिए रूपरेखा (फ्री-एआई) विकसित करने संबंधी समिति की रिपोर्ट

रिज़र्व बैंक ने 13 अगस्त 2025 को वित्तीय क्षेत्र में कृत्रिम बुद्धिमत्ता के दायित्वपूर्ण और नैतिक उपयोग के लिए रूपरेखा (फ्री-एआई) पर समिति, जिसे 6 दिसंबर 2024 के मौद्रिक नीति वक्तव्य में घोषणा के बाद 26 दिसंबर 2024 को स्थापित किया गया था, की रिपोर्ट जारी की। रिपोर्ट में वित्तीय क्षेत्र में एआई को अपनाने के लिए मार्गदर्शन हेतु एक व्यापक रूपरेखा को रेखांकित किया गया है, जिसमें जोखिम न्यूनीकरण के साथ नवाचार को संतुलित किया गया है। अधिक जानकारी के लिए, कृपया [यहाँ](#) क्लिक करें।

मौद्रिक नीति ढांचे की समीक्षा पर चर्चा पत्र

जैसाकि आरबीआई अधिनियम, 1934 की धारा 45जेडए द्वारा अनिवार्य है, रिज़र्व बैंक ने 21 अगस्त 2025 को लचीला मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण (एफआईटी) ढांचे के अंतर्गत मुद्रास्फीति लक्ष्य की समीक्षा के संबंध में एक चर्चा पत्र प्रकाशित किया। अगस्त 2016 में निर्धारित प्रारंभिक लक्ष्य और मार्च 2021 में इसकी समीक्षा के बाद, मार्च 2026 तक दूसरी समीक्षा होनी है। चर्चा पत्र में उठाए गए प्रश्नों पर हितधारकों और जनता से 18 सितंबर 2025 तक ईमेल के माध्यम से टिप्पणियां आमंत्रित की जाती हैं। अधिक जानकारी के लिए, कृपया [यहाँ](#) क्लिक करें।

आरबीआई बुलेटिन

रिज़र्व बैंक ने 28 अगस्त 2025 को अपने मासिक बुलेटिन का अगस्त 2025 अंक जारी किया। इस बुलेटिन में मौद्रिक नीति वक्तव्य, तीन भाषण, पाँच लेख और वर्तमान आंकड़े शामिल हैं। पांच आलेख हैं: I. अर्थव्यवस्था की स्थिति; II. निजी कॉर्पोरेट निवेश: 2024-25 में संवृद्धि और 2025-26 के लिए संभावना; III. डब्ल्यूडी म्यूचुअल फंड: भारत के वचत परिदृश्य में बदलाव; IV. ईवी नीतियां और दोपहिया ईवी अपनाना: भारतीय राज्यों से साक्ष्य; और V. बागवानी विविधीकरण: कृषि सुदृढ़ता का मार्ग। अधिक जानकारी के लिए, कृपया [यहाँ](#) क्लिक करें।

IX. जारी आंकड़े

अगस्त 2025 माह के दौरान रिज़र्व बैंक द्वारा जारी महत्वपूर्ण आंकड़े इस प्रकार हैं:

S/N	Title
1	भारतीय रिज़र्व बैंक ने पूर्वानुमान सर्वेक्षणों के परिणाम जारी किए
2	जुलाई 2025 माह के लिए भारत के अंतर्राष्ट्रीय सेवा व्यापार संबंधी मासिक आंकड़े
3	जुलाई 2025 के लिए समुद्रपारीय प्रत्यक्ष निवेश
4	बैंक ऋण का क्षेत्रवार अभिनियोजन – जुलाई 2025
5	अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की ऋण और जमा दरें – अगस्त 2025
6	भारतीय अर्थव्यवस्था संबंधी सांख्यिकी की विवरण पुस्तिका (हैंडबुक)